फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

भारमलराम पुत्र कानाराम बनाम प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका सांचोर वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 90–क राज0 भू राजस्व अधिनियम, अपील संख्या 658/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2025	पत्रावली अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत अपील को जरिये विड्रो खारिज करने, पर निर्णय हेतु रखी हुई थी, जो आज पेश हुई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 23.04.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सीपीसी बाबत अपील के विड्रो करने की अनुमति प्रदान करने का पेश करते हुए यह कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान की इस विचाराधीन अपील में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के मध्य गांव में अपास में राजीनामा हो गया है। इसलिये अपीलार्थी उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा अपील विड्रोल करना चाहता है। अतः उक्त अनवान की अपील को विड्रोल की जाने की अनुमति प्रदान की जावे तथा जरिये अपील को जरिये विड्रो निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया उसमें अंकित तथ्यो पर गहनता से मनन, चिन्तन किया गया। उपरोक्त विचाराधीन अपील बाबत अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। ऐसे में अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2025 को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इस अपील को और विचाराधीन नहीं रखते हुए इसी स्तर पर निस्तारण करते हुए अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर सम्भागीय आयुक्त जोधपुर	

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★